

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 236]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 8, 2014/श्रावण 17, 1936

No. 236]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 8, 2014/SHRAVANA 17, 1936

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2014

फा. सं. 1-62/एफएसएसए/2014-डीएफक्यूसी.—भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (केन्द्रीय सलाहकार समिति के कारबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2010 का संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 11 की उपधारा (1) और धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धारा 92 की उक्त उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियम पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा ;

कोई आक्षेप या सुझाव, जो उक्त प्रारूप विनियम के संबंध में किसी व्यक्ति से उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त होंगे, प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा ;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य और औषधि प्रशासन भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को भेजे जा सकेंगे ।

प्रारूप विनियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (केन्द्रीय सलाहकार समिति के कारबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2014 है।

(2) ये उनके राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (केन्द्रीय सलाहकार समिति के कारबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2010 में,—

(क) विनियम 2 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“2क. **सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि**—खाद्य प्राधिकरण द्वारा समुचित विशेषज्ञता के साथ खाद्य उद्योग, कृषि, उपभोक्ता, सुसंगत अनुसंधान निकायों और खाद्य प्रयोगशालाओं से सदस्यों को उनकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वे तीन वर्ष की और अवधि के लिए पुनःनियुक्ति के लिए पात्र होंगे”;

(ख) विनियम 16 में, “16. व्ययों की प्रतिपूर्ति”, अंकों और शब्दों के स्थान पर, “14. व्ययों की प्रतिपूर्ति”, अंक और शब्द रखे जाएंगे।

डी.के. सामंतराय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन III/4/ असा./191-एफ/14]

टिप्पण - मूल विनियम अधिसूचना सं. 1-61/एफएसएसए/2009-डीएफक्यूसी, तारीख 4 मार्च, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2014

F.No. 1-62/FSSA/2014-DFQC.—The following draft of certain regulations to amend the Food Safety and Standards Authority of India (Procedure for Transaction of Business of the Central Advisory Committee) Regulations, 2010, which the Food Safety and Standards Authority of India, with previous approval of Central Government, proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 and clause (b) of sub-section (2) of section 92 of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required by the said sub-section (2) of section 92, for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft regulation shall be taken into consideration after the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft regulation within the period specified above shall be considered by authority;

The objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi. 110002.

DRAFT REGULATIONS

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Food Safety and Standards Authority of India (Procedure for Transaction of Business of the Central Advisory Committee) Amendment Regulations, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards Authority of India (Procedure for Transaction of Business of the Central Advisory Committee) Regulations, 2010,—

(a) after regulation 2, the following regulation shall be inserted, namely:—

“2A. **Appointment of members and tenure.**—The members from the food industry, agriculture, consumers, relevant research bodies and food laboratories with relevant expertise shall be appointed by the Food Authority for a period of three years from the date of their appointment and shall be eligible for re-appointment for a further period of three years”;

(b) In regulation 16, for the figures and words “16. Reimbursement of expenses”, the figures and words “14. Reimbursement of expenses” shall be substituted.

D. K. SAMANTARAY, Chief Executive Officer

[ADVT. III/4/Exty./191-F/14]

Note:—The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number F. No. 1-61/FSSA/2009-DFQC, dated the 4th March, 2011.